भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2666
बुधवार, 11 अगस्त, 2021/20 श्रावण, 1943 (शक)

भारतीय कार्यबल में महिला श्रमिकों की भागीदारी

2666. डा. नरेन्द्र जाधवः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोविड-19 के दौरान देश में महिला श्रम बल की भागीदारी की दर कितने प्रतिशत है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में कितनी महिलाओं का काम छूट गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मार्च, 2020 से जून, 2021 के बीच नियोक्ताओं द्वारा नौकरी से निकली गई महिलाओं को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक की महिलाओं की अनुमानित महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) क्रमशः 23.3%, 24.5% एवं 30.0% हैं। सर्वेक्षण अवधि किसी वर्ष की जुलाई से जून है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की पुनः बहाली हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। ईपीएफओ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत नए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जो कोविड-19 के दौरान अपना रोजगार खो चुके थे एवं जो 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। 4 अगस्त, 2021 की स्थिति के अनुसार, योजना के तहत 25.78 लाख कुल लाभार्थियों ने लाभ लिया है जिसमें से 3.52 लाख लाभार्थी वे पुनर्नियोजित व्यक्ति हैं जिन्होंने 1 अक्तूबर, 2020 के उपरांत पुनः नियुक्ति पाई। इसमें पुनः नियुक्ति प्राप्त महिलाओं की संख्या 0.77 लाख है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत, बेरोजगारी लाभ को औसत वेतन का 25% से बढ़ा कर 50% कर दिया गया है,जो कि 90 दिनों तक देय है। इसके साथ-साथ लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तों में छूट है। 30.06.2021 तक, 15981 महिला लाभार्थियों को लाभ दिया गया है।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं।

खुली खदान सहित भूमि के ऊपरी खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और जमीन के नीचे की खदानों में तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति दी गई है जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो।

सामान परिश्रमिक अधिनियम, 1976 को अब मजदूरी संहिता, 2019 में शामिल कर लिया गया है। यह व्यवस्था करता है कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****